भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5769
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

परख

†5769. **श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों की जानकारी है, जो पूरे देश के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न विषयों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के बीच निरंतर अधिगम अंतराल को उजागर करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अधिगम परिणामों में, विशेषकर भाषा और गणित में असमानताओं से संबंधित आंकड़े संकलित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और कक्षावार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इन अंतरों को पाटने के लिए सही स्तर पर शिक्षण (टीएआरएल) मॉडल और समावेशी शिक्षाशास्त्र में उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण जैसे लक्षित उपचारात्मक अधिगम अंतःक्षेपों को अपनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के बीच विद्यालय छोड़ने की दर के जोखिम का निवारण करने हेतु छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का, विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर देश भर के स्कूलों में अधिगम परिणामों को मापने के लिए बड़े पैमाने पर आकलन करता है। इस संबंध में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को मापने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- परख एनसीईआरटी द्वारा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) आयोजित किया गया था।

देश भर में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्र, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्र शामिल हैं, और 2.70 लाख शिक्षकों ने मूल्यांकन में भाग लिया।

सभी विषयों के लिए सामाजिक समूहों में अधिगम के परिणामों में भिन्नता पर संबंधी जानकारी प्रदान करने वाली परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्टें https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en, पर उपलब्ध हैं, जो आकलन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए निर्मित किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 डैशबोर्ड के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण अधिगम के अंतराल की पहचान करने में सहायता करती है और ऐसे अंतराल को भरने के लिए संभावित प्रयास का सुझाव देती है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों से पता चलता है कि आधारभूत स्तर पर सभी सामाजिक श्रेणियों में छात्रों की अधिगम की उपलब्धियों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 की तुलना में सुधार हुआ है, जो देश भर में निपुण भारत मिशन की प्रारंभिक सफलता को दर्शाता है। कक्षा 3 में सही अंकों का प्रतिशत, जो कि पराख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और एनएएस 2021 में मूल्यांकित एकमात्र सामान्य कक्षा है, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

सामाजिक श्रेणी	2021	2024	2021	2024
	भाषा		गणित	
अनुसूचित जाति	62	64	57	60
अनुसूचित जनजाति	61	61	55	57
ओबीसी	62	63	57	60
अन्य	64	66	59	61

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और अधिगम के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्ताव राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर स्थानीय जरूरतों और अंतर आकलन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं और इनमें लक्षित सुधारात्मक शिक्षण प्रयास शामिल हो सकते हैं। इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है।

शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र शिक्षा के तहत प्रयासों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण और अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (एलईपी), निपुण भारत मिशन के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान (एफएलएन) पहलों के लिए सहयोग , और प्रत्येक स्कूल को अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए समग्र स्कूल अनुदान शामिल हैं। इसके अलावा, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने का सहयोग करती है। इन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली सामग्री और कार्यप्रणाली शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र, अनुभवात्मक शिक्षण, योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ये कार्यक्रम एनसीईआरटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित किए जाते हैं और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक होते हैं और सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी और डीआईईटी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों माध्यमों से दिया जाता है, जो व्यापक पहुंच को सक्षम करने के लिए एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी जैसे विकेंद्रीकृत शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ दीक्षा और निष्ठा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित है।

शिक्षा मंत्रालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 8 में उनके स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने और माध्यमिक स्तर पर कक्षा 12 तक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना' जैसी केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएमएमएस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ जारी नहीं की जाती हैं और छात्रवृत्ति राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का लाभ उठाकर छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाती है जो छात्रवृत्ति के निर्बाध वितरण को सक्षम करने के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है।

उर्पयुक्त के अलावा, समग्र शिक्षा के तहत डीबीटी समर्थित घटकों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी नियमित रूप से प्रबंध पोर्टल और डीबीटी भारत पोर्टल http://dbtbharat.gov.in.में की जाती है। योजना के तहत लाभ के समय पर वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के परामर्श से मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इसकी प्रगति और बाधाओं की समीक्षा की जाती है।
